न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 32/2020 दिनांक : 5/3/2020

नर्बदा देवी पत्नि शम्भुलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मी निवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।

........प्रार्थीया

बनाम

1. शंकर पिता नाथू जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मी निवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. जयलाल पिता बालू लाल जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मी निवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
3. पन्नालाल पिता बालू जी जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मी निवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।
4. नन्दु बेवा लालु जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मी निवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।

...............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : **आदेश** : – दिनांक 23/12/2020

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्रीमति नर्बदा देवी पत्नि शम्भुलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मी निवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)। ने जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम लक्ष्मी निवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित **आराजी नम्बर 124 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 149 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 04 बीघा 09 बिस्वा भुमि** स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रू की पत्थरगढ़ी बेवक्त प्राथी से अदा करेगा ।

कार्यालय उप खं... (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधि...
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा